

## एचकेआरएन में लगे कर्मचारियों को मलिंगा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ

### चर्चा में क्यों?

16 अक्टूबर, 2023 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शहरी स्थानीय निकाय में लगे कर्मचारियों को मेडिकल सेवाओं का लाभ देने के लिये आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार नगिम (एचकेआरएन) के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों को चरियु योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा।

### प्रमुख बडि

- बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि अब शहरी स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी ईएसआई स्कीम में कवर नहीं होते और 21 हजार रुपए से अधिक सैलरी ले रहे हैं, उन्हें मेडिकल सेवाओं का लाभ दिया जाएगा।
- नगर परिषद, नगर पालिका एवं नगर नगिमों में लगे कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके इलाज का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- किसी सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, फायरमैन, फायर ड्राइवर की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे मुख्यमंत्री कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही एडहॉक, डेलीवेज व कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को भी 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मुख्य सचिव ने कहा कि जो कर्मचारी कौशल रोजगार दायरे से बाहर हैं, उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ देने पर विचार किया गया। ऐसे कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिये जल्द ही मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाएगी, ताकि शहरी स्थानीय निकाय व अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके।